्विहार विघान सभा वादवृत्तः मंगलवार, तिथि २४ अप्रैल, १९५१

भारत के संविधान के उपवन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण ।
सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि २४ अप्रैल, १९५१ को
पूर्वाह्न ११ वर्जे माननीय अध्यक्ष, श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा, के सभापतित्व में हुआ।

अल्प सूचना प्रश्नोत्तर

SHORT NCTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

धान वसूली के सिलसिले में गोलीकांड।

*७९। श्री गुप्तनाथ सिंह: क्या माननीय मंत्री, पूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि-

- (क) क्या यह वात सही है कि भभुआ सविडवीजन के कुदरा थाने में वसावन गांव में धान वसूली के सिलसिले में ए० डी० एस० ओ० के समक्ष कुदरा की पुलिस ने जनानी क्वार्टर पर गोली चलाई;
- (ख) यदि खंड (क) का उत्तर हां है तो गोली कांड की तिथि और समय तथा गोली चलाने का कारण उससे हताहतों की संख्या, गोली चलने के समय उपस्थित अफसरान और पुलिस की संख्या, जिसके घर पर गोली चली, उसका नाम आदि पूरा विवरण?

माननीय डा॰ अनुग्रह नारायण सिंह: (क) उत्तर नकारात्मक है। गोली किसी पर चलाई नहीं गयी किन्तु टोटा भरते समय वन्द्रक में संभवतः कोई खराबी की वजह से गोली misfire हो गयी।

(स) यह घटना ता० १५ अप्रैल, १९५१ को दिन में अढ़ाई वजे के करीब घटी। एस० डी० ओ०, भभुआ के आदेशानुसार मैजिस्ट्रेट, भभुआ वसाही निवासी श्री बनवारी चौबे के घर की तलाशी लेने गये थे। वड़ी किठनाइयों का सामना करने के बाद वे श्रीचौबे जी के घर में प्रवेश कर पाये। उनका अनुमान है कि उस कमरे में करीब ३०० मन धान तथा ७५ से १०० मन के बीच चावल था। वजन कराना चाहते थे किन्तु स्थिति को गंभीर होते देख उन्होंने कुदरा से पुलिस मंगा ली, फिर भी स्थिति काबू में न आ सकी। दरोगा और मजिस्ट्रेट पर प्रहार किया गया। वहुत से आदमी लाी भाले के साथ ईदं-गिदं चक्कर काट रहे थे। अफसरों की जान खतरे में देख कर एक एल० सी० बन्दूक में टोटा चढ़ाने लगा, किन्तु बन्दूक की कोई गड़वड़ी से गोली misfire होकर जमीन में लग गई। कोई ब्यक्ति घायल नहीं हुआ। उस समय वहां उक्त मैं जिस्ट्रेट, एक दारोगा और एक सप्लाई इन्सपेक्टर, एक एल० सी० तथा पांच सिपाही थे।

श्री गुप्तनाथ सिंह: क्या सरकार इस बात को मानने के लिये तैयार है कि यह कांड २॥ बजे न होकर उस दिन ९॥ बजे सुबह में हुआ?

माननीय डा॰ अनुग्रह नारायण सिंह: मेरे पास जो information हैं उसको मैंने हाउस के सामने रेख दिया।

श्री गृप्तनाथ सिंह: क्या सरकार इस सम्बन्ध में Judicial Enquiry कराने का यत्न करेगी?

^{*}Postponed from the 23rd April 1951.

सरदार हरिहर सिंह: हाउन के एक मिन्बर के कहने पर कि यह information गलत है क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

माननीय डा॰ अनुप्रह नारायण सिंहः अगर माननीय मेम्बर आग्रह करेंगे तो जरूर जांच कराई जायगी।

श्री गुनन थ सिंदः में यह पूछना चाहता हूं कि जो विवरण सरकार के पास है उसमें पूरी वात नहीं है, इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी हुई हु या नहीं?

माननीय डा॰ अनुग्रह नारायण सिंह: यह मुकदमा चल रहा है इसलिये यह subjudice है।

REPRESENTATION OF SHRI RIJHAN JHA OF BELA.

- +*83. Shri MAHESH PRASAD SINHA: With reference to the answer to the Short Notice Question No. 51 given on the 30th March,1951, will the Hon'ble the Minister in charge of the Supply and Price Control Department be pleased to state—
- (a) whether any representation has been filed by Shri Rijhan Jha of Bela police-station now under detention for his release, if so, when;
- (b) whether it is a fact that representations were filed on behalf of Rijhan Jha to the Hon'ble the Supply Minister and to the Hon'ble the Chief Minister on the 2nd April, 1951, if so, the action taken on those representations, if no action was taken, reasons for the same;
- (c) whether it is a fact that the case of the said Shri Rijhan Jha has not been put up before the Advisory Committee till now, if not reason for the same;
- (d) whether any report has been called for on the said representation from the District Magistrate, Muzaffarpur, if not, why not?

The Hon'ble Dr. ANUGRAH NARAYAN SINHA: (a) The answer is in the affirmative.

- (b) The answer to the first part of the question is in the affirmative. The representation filed by his brother has been sent to the District Magistrate, Muzaffarpur, for a report.
- (c) Putting up the case of every detenue before the Advisory Board within six weeks of the date of his arrest is the statutory liability of Government and will be discharged. Till now Government have been waiting for a representation against grounds of detenue.
- (d) The answer is in the affirmative. The second part does not arise.

^{*}Postponed from the 23rd April 1951.

[†]मा॰ सदस्य की अनुपस्थिति में श्री रामचरण सिंह के अनुरोध से उत्तर दिया गया।